



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 359 राँची, गुरुवार, 11 आषाढ़, 1948 (श०)
2 जुलाई, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

9 जून, 2026

पत्रांक : 33 /वि० (महंगाई भत्ता/महंगाई राहत)-54/2017/1817/वि०

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-9 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/1(i)/2026-E.II(B) दिनांक 22.04.2026 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 58% (अट्ठावन प्रतिशत) की विद्यमान दर से बढ़ाकर 60% (साठ प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:-

“राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से वेतन का 60% (साठ प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय”।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1689/वि. दिनांक 22.05.2026 के क्रम में दिनांक 27.05.2026 की बैठक के मद सं. 15 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।
